भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4806
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं

4806. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखण्ड राज्य में सरकारी अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयां और डॉक्टर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में मरीजों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का मरीजों की शिकायतों को दर्ज करने और उनका तत्काल निवारण सुनिश्चित करने के लिए कोई डिजिटल प्रणाली विकसित करने का विचार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करने, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के तहत, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में 100 और 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत, 12 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। झारखंड

राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के तहत कुल 1375.96 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ़सी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में दिए जाएंगे और इससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एफ़सी-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 2370.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क दवा सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसमें उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) स्तर पर 106 दवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर 172 दवाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर 300 दवाओं, उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) स्तर पर 318 दवाओं और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता शामिल है।

भारत सरकार ने झारखंड सहित देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहन और मानदेय के रूप में कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
ii. राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत योग्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें “आप कोट करें, हम अदा करेंगे” जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
iii. एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमानी प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
iv. एनएचएम के तहत व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल (सीईएमओएनसी) और जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) जैसे विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल को समर्थन दिया जाता है।

(ख) और (ग): झारखंड सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक मेडिकल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 104 विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से मरीज अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और 24X7 चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्रालय ने जिला अस्पतालों (डीएच) में मरीज फीडबैक सिस्टम "मेरा अस्पताल" को भी एकीकृत किया है।

*****